भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1586

01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आरआईएनएल को आवंटित पूंजी जारी करना

1586. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को उसकी पूंजी और अन्य खर्चों के लिए आवंटित निधि जारी कर दी गई है;
(ख) यदि हाँ, तो आरआईएनएल द्वारा अब तक पूंजी निवेश के रूप में कितनी राशि व्यय की गई है;
(ग) यदि नहीं, तो निधि जारी करने और व्यय करने में विलंब के क्या कारण हैं;
(घ) क्या यह सच है कि आरआईएनएल ने एक बार फिर कंपनी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन की घोषणा की है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारियों और कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है;
(च) क्या आरआईएनएल का निजीकरण करने या इसकी भूमि निजी लोगों को बेचने की कोई योजना है;
(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ज) आरआईएनएल का स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय की क्या स्थिति है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को एक कार्यशील व्यवसाय बनाए रखने के लिए आरआईएनएल में ₹11,440.00 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है। तिमाही लक्ष्यों के अनुसार आरआईएनएल को ₹ 9,824.00 करोड़ की राशि जारी की गई है।

(घ) और (ड.): आरआईएनएल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन की घोषणा की है। वीआरएस के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.07.2025 थी तथा जमा किए गए आवेदनों को वापस लेने की अंतिम तिथि 18.07.2025 थी। अंतिम तिथि तक, आरआईएनएल में वीआरएस के लिए कुल 1,017 कर्मचारियों ने आवेदन किया है।

(च) और (छ): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 27.01.2021 को आरआईएनएल में भारत सरकार (जीओआई) की हिस्सेदारी के 100% विनिवेश को "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है।

(ज): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****